



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1934 (श10)

(सं0 पटना 557) पटना, सोमवार, 15 अक्टूबर 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

8 अक्टूबर 2012

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012

सं0 5(न) विविधि-13/2012-3691—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 127 की उप-धारा (1) (ड) तथा 419(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संचार टावर एवं संबंधित संरचना पर कर के संबंध में निम्नलिखित नियमावली, 2012 बनाते हैं जिसका प्रारूप पूर्व प्रकाशित है तथा प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जा चुका है :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरंभ-** (1) यह नियमावली बिहार संचार टावर एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों (Cantonment area) को छोड़कर संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा-** इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा

(ग) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके प्रति समनुदेशत किये गये हों।

(घ) "मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी" (CMO) से अभिप्रेत है

(1) नगर निगम के संदर्भ में नगर आयुक्त,

(2) नगर परिषद या नगर पंचायत के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी

(ङ) "संचार मीनार (टावर)" में सम्मिलित होगा एंटीना उपस्कर, निर्मित (Fabricated), एंटीना दूरभाषा के लिए स्थापित टावर तथा मोबाईल संचार मीनार (टावर)। इसमें घरेलू प्रयोजनार्थ स्थापित एंटीना यथा टेलीविजन एंटीना या डिश एंटीना सम्मिलित नहीं होगा।

(च) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-थ के साथ पठित अधिनियम की धारा- 12 के अधीन गठित स्वशासी संस्था और इसमें धारा- 13 में निर्दिष्ट गठित नगर निगम, नगर परिषद तथा पंचायत शामिल हैं।

(छ) "संचालक" से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है कोई व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों की संस्था या कम्पनी जो संचार मीनार(टावर) अपने उपयोग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों की संस्था या कम्पनी के लिए मोबाईल दूरभाष सेवा-प्रदाता के रूप में इन्टरनेट या डाटा हस्तांतरण सेवा के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठापित करता है।

3. संचार मीनार (टावर को केवल व्यवसायिक भवन या खाली भूमि पर खड़ा या प्रतिस्थापित करने की अनुज्ञापित दी जा सकेगी।

4. विद्यालय, महाविद्यालय या अस्पताल के 100 मीटर रेडियस के दायरे में कोई भी संचार मीनार (टावर) प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5. नगरपालिका के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन— कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर खड़ा कर चुका है या खड़ा करना चाहता है। निम्नांकित दस्तावेजों यथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करेगा :-

- (I) मूल राजस्व दस्तावेज;
- (II) निर्माण स्थान योजना 1: 200 पैमाने में तथा स्थान योजना 1: 1000 पैमाने पर;
- (III) भू-स्वामी से उसकी सहमति, अंतर्विष्ट करते हुए स्वामित्व के सबूत के साथ शपथ पत्र;
- (IV) व्यावसायिक भवनों के यथास्थिति स्वामी या स्वामियों की सहमति देने वाला शपथ पत्र;
- (V) टावर का चित्र पूरे विवरण सहित जिसमें नींव का विनिर्देश तथा डिजाइन मानक शामिल हो;
- (VI) टावर की ऊँचाई, इसके उठान (elevation) के साथ;
- (VII) टावर के आस-पास उच्च या निम्न विद्युत लाईन के आस-पास या रेखांकन में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा;
- (VIII) किसी संरचनात्मक स्नातक इंजीनियर जो अभियंता संस्था (भारत) का सदस्य हो, से टावर का संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र;
- (IX) टावर द्वारा कारित दुर्घटना के चलते किसी हानि या उपक्षति की देखभाल के लिए क्षतिपूर्ति (Indemnity) बाण्ड जिसमें एक घोषणा हो कि आवेदक आग या बिजली सुरक्षा हेतु विशेष एहतियात बरतेगा तथा किसी भी मुआवजा और हानि भुगतान के लिए वह एकल रूप से जिम्मेदार होगा तथा साथ साथ किसी फौजदारी या दीवानी मामले के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- (X) मोबाइल कम्पनी टावर या एंटीना की मेगावाट क्षमता को इंगित करेगी।
- (XI) कम्पनी संबंधित अधिकारी से प्राप्त ध्वनि प्रमाण पत्र कि विद्युत उपकरण से उत्पन्न ध्वनि, पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार के GO SC 123 (3) दिनांक 14.02.2000 के द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो।
- (XII) अगर मोबाइल टावर हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित है तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण के नवीनतम परिपत्र को प्रभावित करता हो तो प्राधिकरण से अनुमति ली जायेगी तथा प्रस्तुती का पंजीकरण के आवेदन पत्र का प्रारूप उपरोक्त सभी तथ्यों को समाहित करते हुए नगरपालिका द्वारा तैयार किया जायेगा।

6. शुल्क—

- (1) पंजीकरण के आवेदन के स्वीकृति के पश्चात पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क निम्नलिखित दरों पर जमा किया जायेगा :-
 - (I) नगर निगम—पंजीकरण फीस 50,000/- रुपये प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण फीस 15,000/- रूपया प्रति वर्ष प्रति टावर।
 - (II) नगर परिषद—पंजीकरण फीस 40,000/- रुपये प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण फीस 10,000/- रूपया प्रति वर्ष प्रति टावर।
 - (III) नगर पंचायत—पंजीकरण फीस 30,000/- रुपये प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण फीस 8,000/- रूपया प्रति वर्ष प्रति टावर।
- (2) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावर को ऊपर वर्णित पंजीकरण फीस जमा करना होगा तथा नवीकरण फीस टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जायेगा; जहाँ कि पूर्ण वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के अगामी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से पूर्ण राजकोषीय वर्ष में सम्मिलित प्रतिष्ठापन अवधि।
- (3) 5 वर्षों की नवीकरण फीस की राशि को एकमुश्त जमा करने का विकल्प होगा तथा कुल राशि पर 20 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। नवीकरण शुल्क में प्रत्येक 5 वर्षों बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (4) टावर पर लगाये गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा।
- (5) पंजीकरण शुल्क एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
- (6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।
- (7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपालिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।
- (8) पंजीकरण फीस एवं नवीकरण फीस के भुगतान के बिना तथा नगरपालिका की अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नहीं किया जाएगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी संचार टावर अवैध माने जाएंगे।
- (9) ऐसे टावर की फीस में जिस पर पंजीकरण शुल्क और या नवीकरण फीस बकाया है, नगरपालिका को अधिकार है कि टावर को सील कर दे जब तक पूर्णतः बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाये।

7. स्थान— संचार टावरों का स्थान रेडियो आवृत्ति प्रणाली से संचालित होगा तथा संचालकों द्वारा आवासीय क्षेत्रों में टावर खड़ा करने से बचे स्थान का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा—

- (क) प्रथम वरीयता उस स्थान को दिया जायेगा जो कि खुला है तथा जो आवासीय क्षेत्रों से दूर है।
- (ख) टावर को विद्यालय, महाविद्यालय तथा अस्पताल के 100 मीटर दायरे में खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ग) उपरोक्त निर्देश उन सभी नये प्रतिष्ठापन पर लागू होंगे जो इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद लगे हों।

8. प्रतिष्ठापन—

- (1) तूफान, बिजली, गर्जन से बचने के लए तड़ित चालक को स्थापित किया जायेगा।
- (2) जेनरेटर सेट जिसे एंटीना हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए टावर साइट पर स्थापित किया जाता है बिहार सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शोर तथा उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होगा।

9. टावर का सेटबैक—

- (1) टावर की ऊँचाई के बराबर चारों ओर क्षेत्र छोड़ा जायेगा।

- (2) विद्युत लाइन, पोल से टावर की दूरी संचार टावर की ऊँचाई एवं हाई वोल्टेज तथा लो वोल्टेज लाईन हेतु अपेक्षित दूरी से कम नहीं होगा।
- 10. स्थान को साझा करना—**
- (1) दुरभाष संचालक अपने एंटीना के लिए टावर साझा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जिससे कि टावर बहुलता नहीं हो तथा वर्तमान टावर का आदर्श उपयोग किया जा सके।
- 11. स्वतः अनुमोदन—**
- (1) प्रत्येक नगरपालिका के नगरपालिका पदाधिकारी आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत होने जिसकी रसीद दी गई है के 30 दिनों के भीतर अन्तिम निर्णय देंगे। अगर किसी मामले में अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रपत्र सभी प्रकारसे पूर्ण है तथा 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुमति दे दी गई मानी जायेगी, बशर्ते ऐसी अनुमति निर्धारित नियम के अनुसार हो। इसके उपरान्त दुरसंचार संचालक नियम की धारा-3 के अनुसार पंजीकरण फीस की राशि जमा करने की कार्यवाई करेगा।
- 12. शक्ति—**
- (1) कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह 5000 (पाँच हजार) रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने का दायी होगा तथा उसके संचार टावर को सील, जब्त कर दिया जायेगा तथा संचालक को टावर हटाने के लिए कहा जायेगा।
- (2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी जुर्माना सीलिंग, जब्त अथवा हटाने का आदेश पारित करने से पूर्व संचालक को इस आशय की सूचना देगा तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
- (3) संचालक को सुनने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी जुर्माना सीलिंग, जप्ती तथा हटाने के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करेगा।
- (4) अगर संचालक टावर को नहीं हटाता है तो नगरपालिका टावर को हटवायेगा तथा हटाने की लागत संचालक से वसूली जायेगी।
- (5) इस नियमावली के अधीन अधिरोपित समस्त टावर पंजीकरण तथा नवीकरण फीस के बकाया को "सम्पत्ति कर" का बकाया माना जायेगा तथा उसकी वसूली उस रूप में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 158 के अधीन नगरपालिका द्वारा बनायी गयी विनियमावली के अध्याधीन होगी।
- 13. अपील—** नगरपालिका और मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/कार्यकारी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील किया जा सके।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

8 अक्टूबर 2012

सं0 5(न) विविधि-13/2012-3691 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 8th October 2012

BIHAR COMMUNICATION TOWERS AND RELATED STRUCTURES RULE, 2012

No. 3692-UD & HD—In exercise of powers vested under section 127 (1)(1) and section 419 of the Bihar Municipal Act, 2007, (as amended from time to time) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules, 2012 in respect of Tax on Communication Towers and Related Structure, the draft of which is previously published and objections disposed off as required by sub-section (1) of section 419 of the said Act namely :-

- 1. Short title, extent and commencement-** (1) These Rules may be called the Bihar communication Towers and Related Structures Rules, 2012.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar excluding cantonment areas therein .
- (3) It shall come into force at once.
- 2. Definition-** In these Rules, unless otherwise required in the contest :-
- (a) "Act" means the Bihar Municipal Act, 2007;
- (b) "Section" means a section of the Act;
- (c) All words and expression used in these rules and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act;
- (d) "Chief Municipal Officer" (CMO): means-
- (i) In relation to a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner, and
- (ii) In relation to the Municipal Council or Nagar Panchayat, the Municipal Executive officer.

- (e) "Communication Tower" will include antenna fixtures, fabricated antenna, tower to install telephone lines and mobile transmission towers. This will not include the antennas intalled for domestic purpose, namely television antennas or dish antennas.
- (f) "Municipality" means an institution of Local Self-Government constituted under section 12 of the Act read with Article 243Q of the Contitution of India, and includes a Municipal corporation, a Municipal Council and a Nagar Panchayat, referred to in section 13 of Bihar Muncipal Act, 2007.
- (g) "Operator" means and includes a person, firm, association of persons or company which installs communication tower for the purpose of its use either for itself or for other person, firm and associations of persons or company as mobile phone service provider, internet and data transfer services.

3. Communication towers shall be permitted to be erected or installed only on a commercial building or a vacant land.

4. No communication tower shall be installed within a radius of hundred meters from a school, college or a hospital.

5. Application for Registration with Municipality- Any operator, who has already erected in the past or intends to erect any communication tower shall make an application to the Municipality along with the following documents and requisite fee as prescribed:

- (i) Revenue documents in original.
- (ii) Site plan in the scale of 1: 200 and location plan in 1: 1000.
- (iii) Affidavit from the ower of the land containing his consent along with proof of ownership.
- (iv) Affidavit from the owner or the association of owners of the commercial building as the case may be, giving the consent.
- (v) Drawing of tower with complete details including the specifications of foundations and design parameters.
- (vi) Height of the tower along with its elevation.
- (vii) In case the tower is in the vicinity or adjoining to high or low tension electric line, then its distance from the same shall be clearly indicated in the drawings.
- (viii) Structural safety certificate of tower from a graduate structural engineer who is a member of institute of Engineers (India).
- (ix) Indemnity Bond to take care of any loss or injury due to accident caused by the tower (including a declaration to the effect that the applicant shall take special precaution for fire safety and lighting and he shall be solely responsible for paying all kinds of compensation and damages and would be responsible for any civil or criminal case arising therefrom.
- (x) Mobile companies shall indicate the capacity of towers or antenna in megawatt.
- (xi) The company shall produce certificate from concerned authority that the noise generated from the electrical equipment is within the limits fixed from time to time by Environment and Forest Ministry, Government of India, and Bihar State Pollution Control Board.
- (xii) In case the Mobile tower is proposed to be installed near any airport and is affected by the latest circular of AAI, permission of the Airport Authority shall have to be taken and submitted.
- (xiii) The Municipality shall prescribe the form of application for registration in which the above mentioned details will be incorporated.

6. Fee- (1) Registration and renewal fee shall be deposited at the following rates after the application for registration is approved:-

(i) **Municipal Corporation-** Registration Fee @ Rs. 50,000/- per tower and annual renewal fee @ Rs. 15,000/- per annum per tower.

(ii) **Municipal Council-** Registration Fee @ Rs. 40,000/- per tower and annual renewal fee @ Rs. 10,000/- per annum per tower.

(iii) **Nagar Panchayat-** Registration Fee @ Rs. 30,000/- per tower and annual renewal fee @ Rs. 8,000/- per annum per tower.

(2) The registration fee for the towers installed before the coming into effect of these Rules shall be the above indicated registration fees and renewal fees multiplied by the number of completed years the tower has been installed.

Whereas "Complete" year means the installation period covering the entire fiscal year from April, 1 or March, 31st of the following year(s).

(3) There shall be an option for lump sum payment of renewal fee given in block of 5 years (with 20% discount for upfront payment of the entire amount including renewal fees for 5 years). The renewal fee will increased by 25% after every 5 years.

(4) An additional amount of registration and renewal fees @ 60% shall be levied for every additional antenna which shares the same tower.

(5) The registration fees shall be a onetime payment.

(6) The registration fees are payable immediately upon acceptance of the application for registration. If payment is not received by end of 30 days of the registration, the interest at the rate of one and half percent per month shall accrue and be payable.

(7) The annual renewal fees are payable in advance for the full year of on pro-rata basis if the registration is approved during the course of the fiscal year. Annual Renewal fees are due on 1st April of each fiscal year. If payment of annual renewal fees is not received by April 30th of the fiscal year, the interest at the rate of one and half percent per month shall accrue and be payable.

(8) Without payment of the registration fees, renewal fees and without the permission of the Municipality no communication tower should be installed and, all installation of communication towers without such permission shall be considered illegal.

(9) In case of arrear in respect of registration fees and/or renewal fees for any tower, the Municipality reserves the right to seal the tower until the payment is received in full along with accrued interest.

7. Location

Location of communication towers is governed by radio frequency system and operators shall avoid residential areas for erection of the same. The location shall be decided on the following grounds :-

a. First preference shall be given to the location of tower in the open areas away from residential locations.

b. Erection of tower shall not be allowed within a radius of 100 meter from school, college and hospitals.

c. The above guidelines shall be applicable for all new installations after these Rules come into effect.

8. Installations-(1) In order to avoid any eventuality due to thunder storm, lightening conductors have to be installed.

(2) Generator set installed at the tower site to cater to the power requirements of the antenna shall conform to the noise and emission norms prescribed by the Bihar State Pollution Control Board.

9. Set Backs of Tower- (1) The area equivalent to height of tower shall be left as set back around it.

(2) The distance of tower from electric line or pole or tower there of shall not be less than height of tower plus requisite distance from respective high tension or low tension line.

10. Sharing of Sites - The telecom operators may share the towers for fixing their respective antennas. The same are however, required to adhere to the prescribed technical requirements, so as to curtail multiplicity of towers as well as to optimize the use of the existing ones.

11. Deemed Approval

A final decision by CMO of each municipality shall be taken within 30 days from the date of application along with submission of all the documents and certificates for which a receipt shall be given. In case the documents submitted for permission are complete in all respects and then decision is not conveyed within 30 days, deemed permission shall be assumed, provided that the same is in accordance with the prescribed Rules. The Telecom Operator shall then proceed to deposit the Registration Fees and Renewal Fees as mentioned in rule 6 of the Rules.

12. Penalty- (1) If an operator violates any provision of these Rules it shall be liable to be punished with fine up to Rs. 5,000/- (Five Thousand) and his communication tower shall be sealed, seized and the operator may also be asked to remove the tower/antenna.

(2) The CMO before passing such order of fine, sealing, seizure or removal shall give notice to the operator to this intension and provide reasonable opportunity to the operator to be heard.

(3) After hearing the operator, the CMO shall pass necessary orders regarding fine, sealing, seizure and removal.

(4) In the eventuality of the operator not removing the tower/antenna the municipality will get the tower/antenna removed and the cost of such removal will be realized from the operator.

(5) The penalty imposed under these, the arrears of registration fees and renewal fees of the towers shall be treated as arrears "Property Tax" and shall be subject to recovery as such under Regulation made in this regarded by Municipality under section 158 of the Bihar Municipal Act, 2007.

13. Appeal- An appeal against the order fo the Municipality and the CMO/EO will lie before the Principal Secretary, UD & HD within 30 days of the order.

By order of the Governor of Bihar,
ARVIND KUMAR SINGH,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 557-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>